

11 $\frac{07}{22}$

फत्रावली पेश हुई। वक्रसाय उप।

मूल वाद में निर्णय देने से उक्त T.I. फत्रावली का
औचित्य नहीं रह जाता है। जिससे उक्त T.I. फत्रावली
का निस्तारण देने से कार्यवाही शप की जाकर
फत्रावली फेरसल शुमार दीकर नंबर से कम है।


SD